बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

।। आदेश ।।

पटना, दिनांक .....

संचिका संख्या–07 / मु0–02–24 / 2026...../यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-12973/2025 श्रीमती कमला कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–19.01.2026 को पारित आदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2. CWJC No–12973/2025 श्रीमती कमला कुमारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 19.01.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"... In order to resolve the dispute, as has been raised by the petitioner in the present writ petition, this Court deems it fit and proper to direct the Director, Primary Education, Government of Bihar, Patna to verify and consider the claim of the petitioner, keeping in view Annexure P/2, Annexure P/3 and Annexure P/9, of the writ petition, alongside the record available in the department with respect to her position vis-à-vis the position of the respondent no. 5 and take an appropriate decision, preferably within a period of four weeks, from the date of receipt/production of a copy of this order.

10. Till final order passed by the respondent no. 5, there shall be status-quo with regard to the position of the petitioner.

11. Accordingly, the present writ petition stands disposed off..."

वर्णित याचिका में पुनः दिनांक 02.02.2026 को पारित संशोधित न्यायादेश इस प्रकार है :–

"... 6. It has further been pointed out that the final order is required to be passed by respondent no. 2. However, due to typographical mistake, it has been mentioned as respondent no. 5, in place of respondent no. 2.

7. Accordingly, the respondent no. 5 be also read as respondent no. 2.

8. In view of the submissions advanced, the order dated 19.01.2026 stands modified to the extent indicated hereinabove. ..."

3. उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में मामले के निस्तारण हेतु याचिकाकर्त्ता को दिनांक 16.04.2026, 11.05.2026, 25.05.2026 एवं 08.06.2026 की सुनवाई में पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देते हुए उनके पक्ष को विस्तार पूर्वक सुना गया। सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन, उपलब्ध अभिलेख, विद्यालय से संबंधित पत्राचार, वेतन निर्धारण संबंधी कागजात, पूर्व न्यायिक आदेश तथा विभागीय नियमावली का परीक्षण किया गया।

4. याचिकाकर्त्ता श्रीमती कमला कुमारी का कहना है कि वे वर्ष 1987 से सेवा में हैं और विद्यालय में सबसे वरीय शिक्षिका हैं। उनका दावा है कि वे लंबे समय से संबंधित विद्यालय में प्रधान शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थीं। दिनांक 17.07.2025 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या–5 सुश्री नीतू कुमारी को उक्त विद्यालय में प्रधान शिक्षिका के पद पर पदस्थापित किया गया, जिससे याचिकाकर्त्ता की स्थिति प्रभावित हुई। इसी आधार पर उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका सं0–12973 / 2025 दायर किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह तथ्य दर्ज किया कि याचिकाकर्त्ता ने अपने को नियमित प्रधानाध्यापिका बताया है, किंतु उनके द्वारा प्रधानाध्यापिका/प्रधान शिक्षिका पद पर विधिवत् नियुक्ति अथवा प्रोन्नति से संबंधित कोई स्पष्ट आदेश अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ पत्राचारों में याचिकाकर्त्ता को प्रधानाध्यापिका/प्रधान शिक्षिका के रूप में अंकित किया गया है, इसलिए उनके दावे का विभागीय अभिलेखों के आधार पर परीक्षण किया जाना उचित होगा।

याचिकाकर्त्ता की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित बातें प्रस्तुत की गईं–

- वे जिला संवर्ग की शिक्षिका हैं तथा वर्ष 1987 से कार्यरत हैं। अतः विद्यालय की वरीयतम शिक्षिका होने के कारण वे प्रधानाध्यापिका/प्रधान शिक्षिका के रूप में कार्य करने की पात्र हैं।
- उनके पक्ष में पूर्व में याचिका सं0–6697/2004 में आदेश पारित हुआ था, जिसके आधार पर उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया।
- दिनांक 21.09.2005 के कार्यालय आदेश तथा दिनांक 24.09.2005 के वेतन निर्धारण विवरण में उन्हें क्रमशः प्रधान शिक्षिका एवं प्रधानाध्यापिका के रूप में दर्शाया गया है। अतः उनका कहना है कि यह केवल "प्रभारी व्यवस्था" नहीं थी, बल्कि उन्हें वास्तविक रूप से प्रधान शिक्षिका एवं प्रधानाध्यापिका का दर्जा प्राप्त था।
- उनका कहना है कि प्रतिवादी संख्या–5 सुश्री नीतू कुमारी की नियुक्ति/पदस्थापना से पूर्व विद्यालय में प्रधान शिक्षक का पद रिक्त दिखाया गया, जबकि याचिकाकर्त्ता पहले से वहां कार्यरत थीं। अतः उनके स्थान पर प्रतिवादी संख्या–5 की पदस्थापना त्रुटिपूर्ण है।
- उनका यह भी कहना है कि यदि उन्हें हटाया जाता है तो यह उनकी वरीयता, पद–स्थिति तथा वेतन–लाभों को प्रभावित करेगा। अतः प्रतिवादी संख्या–5 को अन्यत्र पदस्थापित कर उन्हें विद्यालय में प्रधान शिक्षिका के रूप में बनाए रखा जाए।

5. याचिकाकर्त्ता मूल रूप से सहायक शिक्षिका हैं। ऐसे सहायक शिक्षिकों के सेवाशर्त्त को विनियमित करने हेतु बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018 प्रख्यापित है। इस नियमावली अन्तर्गत सहायक शिक्षिकों की प्रोन्नति क्रमशः स्नातक प्रशिक्षित एवं प्रधानाध्यापक के पद पर करते हुए उन्हें मध्य विद्यालयों में पदस्थापित करने का प्रावधान है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, गोपालगंज द्वारा यह अवगत कराया गया कि विद्यालय में नियमित प्रधान शिक्षक की अनुपस्थिति में याचिकाकर्त्ता को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

विद्यालय में नियमित प्रधान शिक्षक की अनुपस्थिति में वरीय शिक्षक को प्रशासनिक सुविधा हेतु प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाती रही है। ऐसी व्यवस्था केवल अस्थायी/कार्यकारी व्यवस्था होती है। इससे संबंधित शिक्षक को नियमित प्रधान शिक्षक पद पर स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं होता। अभिलेखों में याचिकाकर्त्ता के नियमित रूप से प्रधान शिक्षिका पद पर नियुक्त होने का कोई विधिवत आदेश उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 40,816 प्रधान शिक्षक के पदों का सृजन किया है। इन पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की गई है। प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा–शर्तें **बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024** से शासित हैं। यह एक पृथक् नियमावली है, जिसके अंतर्गत प्रधान शिक्षक पद पर सीधी भर्ती का प्रावधान है।

याचिकाकर्त्ता जैसी पूर्व से कार्यरत सहायक शिक्षिकाओं की सेवा–शर्तें **बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक–स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली, 2018** से शासित हैं।

किसी पत्राचार, वेतन निर्धारण विवरण या विद्यालयीय दस्तावेज में प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक शब्द का उल्लेख, यदि वह विधिवत् नियुक्ति/प्रोन्नति आदेश पर आधारित नहीं है, तो उसे नियमित नियुक्ति का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

प्रतिवादी संख्या–5 का चयन एवं पदस्थापन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित वैधानिक चयन प्रक्रिया तथा **"बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024"** के अंतर्गत हुआ है। अतः उनकी पदस्थापना को केवल इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि याचिकाकर्त्ता पूर्व में प्रभारी रूप से विद्यालय का संचालन कर रही थीं।

6. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमती कमला कुमारी का यह दावा कि उन्हें संबंधित विद्यालय की नियमित प्रधान शिक्षिका माना जाए तथा बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित प्रधान शिक्षिका की पदस्थापना के बावजूद उन्हें उसी पद पर बनाए रखा जाए, नियमावली एवं अभिलेखों के अनुरूप नहीं पाया गया।

अतः श्रीमती कमला कुमारी का दावा/अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है। उन्हें निदेशित किया जाता है कि वे विद्यालय के प्रधान शिक्षक का प्रभार नव–पदस्थापित प्रधान शिक्षिका सुश्री नीतू कुमारी को तत्काल हस्तांतरित करें।

ह०/–

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांकः–07/ मु0–02–24/2026...1947... पटना, दिनांकः–...24/06/26

प्रतिलिपिः– 1. Smt. Kamala Kumari W/o Narendra Kumar Singh Resident of Village-Khajuhatti, P.S.-Baikunthpur, District-Gopalganj, Bihar.

2. Neetu Kumari W/o Unknown, R/o Village-Semra, P.S.-Mashrakh, District Saran Chapra. को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Signed by
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।
Date: 20-06-2026 12:07:55